SKU शोध संचार

(INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)

Impact Factor SJIF 2025 – 5.306

Vol-4, Issue-3 July - September 2026 E-ISSN: 2584-2900

भारतीय संविधान के 76 वर्ष: उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और विकसित भारत की संवैधानिक दिशा

विजय कुमार

सह-प्राध्यापक, (राजनीति विज्ञान)

श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जिसने 26 जनवरी 1950 से भारत के लोकतांत्रिक शासन को दिशा प्रदान की है। संविधान ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करते हुए नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रदान किए। पिछले 76 वर्षों में संविधान ने अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी जीवंतता और अनुकूलन क्षमता का परिचय दिया है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार, मौलिक अधिकारों का संरक्षण तथा सामाजिक न्याय की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं।

वर्तमान समय में भारत "विकसित भारत-2047" के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इस संदर्भ में संविधान की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। डिजिटल शासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, पर्यावरणीय न्याय, लैंगिक समानता, सहकारी संघवाद, चुनावी सुधार तथा सुशासन जैसी नई चुनौतियाँ संवैधानिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे में संविधान के मूल मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हुए समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप संस्थागत सुधारों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

यह शोध-पत्र भारतीय संविधान की 76 वर्षों की यात्रा का मूल्यांकन करते हुए उसकी प्रमुख उपलब्धियों, समकालीन चुनौतियों तथा विकसित भारत के निर्माण में उसकी संवैधानिक दिशा का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द

भारतीय संविधान, लोकतंत्र, संवैधानिक शासन, विकसित भारत 2047, मौलिक अधिकार, संघवाद, न्यायपालिका, सुशासन, राजनीतिक व्यवस्था।

1. भूमिका

भारतीय संविधान केवल शासन संचालन का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा तथा राष्ट्र-निर्माण का मार्गदर्शक भी है। संविधान सभा द्वारा लगभग तीन वर्षों के गहन विचार-विमर्श के बाद निर्मित संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। इसके माध्यम से भारत ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाते हुए विधि के शासन, मौलिक अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। भारतीय संविधान की विशेषता उसकी लचीलापन एवं गतिशीलता है। समय के साथ हुए अनेक संशोधनों, न्यायिक व्याख्याओं तथा प्रशासनिक सुधारों ने इसे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप विकसित किया है। संविधान ने देश की विविधता को एकता में परिवर्तित करने तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आज जब भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि संविधान की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, डिजिटल प्रशासन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा तथा सामाजिक समावेशन जैसे क्षेत्रों में संवैधानिक मूल्यों का समन्वय ही विकसित भारत की आधारशिला बन सकता है।

साहित्य समीक्षा

भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू होकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में कार्य कर रहा है। पिछले 76 वर्षों में संविधान ने लोकतांत्रिक शासन, विधि के शासन, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों, संघीय व्यवस्था तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस विषय पर देश-विदेश के अनेक संवैधानिक विद्वानों ने विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किए हैं।

ग्रेनविल ऑस्टिन (1966) ने द इंडियन कॉनस्टिटूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन में भारतीय संविधान को "सामाजिक क्रांति का दस्तावेज" बताया है। उनके अनुसार संविधान का प्रमुख उद्देश्य केवल शासन की व्यवस्था स्थापित करना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के माध्यम से भारतीय समाज का लोकतांत्रिक रूपांतरण करना था। उन्होंने संविधान की सफलता को लोकतांत्रिक संस्थाओं की निरंतरता तथा राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में विश्लेषित किया है।

डी. डी. बसु (2018) ने Introduction to the Constitution of India में संविधान की मूल विशेषताओं, मौलिक अधिकारों, नीति-निर्देशक तत्वों तथा न्यायपालिका की भूमिका का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार संविधान समय के साथ संशोधनों तथा न्यायिक व्याख्याओं के कारण अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बना है।

एम. पी. जैन (2019) ने Indian Constitutional Law में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, न्यायिक पुनरावलोकन तथा संविधान के विकास का विश्लेषण किया है। उन्होंने विशेष रूप से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के निर्णय द्वारा प्रतिपादित "मूल संरचना सिद्धांत" को भारतीय संविधान की स्थिरता और लोकतांत्रिक सुरक्षा का आधार माना है।

सुभाष सी. कश्यप (2019) ने भारतीय संविधान के व्यवहारिक पक्ष का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया है कि संविधान की सफलता केवल उसके प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा नागरिकों की संवैधानिक जागरूकता पर भी आधारित है। उन्होंने संविधान संशोधनों, संसदीय लोकतंत्र तथा संघीय ढाँचे के विकास का विस्तृत अध्ययन किया है।

उपेन्द्र बक्शी (1982) ने संविधान को मानवाधिकारों तथा सामाजिक न्याय का सशक्त माध्यम माना है। उनके अनुसार न्यायपालिका ने जनहित याचिका (PIL), मौलिक अधिकारों के विस्तार तथा संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से संविधान को अधिक जीवंत बनाया है। वहीं राजीव भार्गव (2008) ने भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद तथा विविधता में एकता की अवधारणा को उसकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया है।

भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग (2002) ने संविधान के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, चुनाव सुधार, न्यायिक सुधार, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा स्थानीय स्वशासन को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसी प्रकार द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005-2009) ने सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा नागरिक-केंद्रित प्रशासन के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।

उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान ने पिछले 76 वर्षों में लोकतांत्रिक स्थिरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण, महिलाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के संवैधानिक संरक्षण तथा संवैधानिक शासन की स्थापना में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही न्यायिक विलंब, राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता तथा सामाजिक-आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

अतः उपलब्ध साहित्य यह संकेत देता है कि भारतीय संविधान की उपलब्धियों का मूल्यांकन केवल संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यक्षमता तथा सामाजिक परिवर्तन के व्यापक संदर्भ में किया जाना चाहिए। प्रस्तुत शोध इसी दृष्टिकोण से भारतीय संविधान के 76 वर्षों की उपलब्धियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेगा।

2. शोध समस्या

भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया है, किंतु बदलते राजनीतिक, आर्थिक एवं वैश्विक परिवेश में अनेक नई चुनौतियाँ सामने आई हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रभावशीलता, चुनावी सुधार, डिजिटल अधिकार, संघीय संबंधों का स्वरूप, न्याय तक समान पहुँच, सुशासन तथा नागरिक सहभागिता जैसे प्रश्न निरंतर महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह अध्ययन इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करता है कि क्या भारतीय संविधान वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित भारत के लक्ष्य को

प्रभावी ढंग से दिशा प्रदान कर रहा है, तथा भविष्य में किन संवैधानिक एवं संस्थागत सुधारों की आवश्यकता होगी।

3. शोध के उद्देश्य

1. भारतीय संविधान की 76 वर्षों की उपलब्धियों का विश्लेषण करना।
2. वर्तमान संवैधानिक एवं राजनीतिक चुनौतियों का अध्ययन करना।
3. विकसित भारत-2047 के संदर्भ में संविधान की भूमिका का मूल्यांकन करना।
4. लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
5. संविधान के मूल आदर्शों और समकालीन प्रशासनिक आवश्यकताओं के मध्य संतुलन का अध्ययन करना।

4. शोध पद्धति

यह शोध मुख्यतः गुणात्मक एवं वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। अध्ययन के लिए संविधान के प्रावधानों, संवैधानिक संशोधनों, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों, सरकारी रिपोर्टों, शोध-पत्रों, पुस्तकों तथा समकालीन राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के आधार पर संवैधानिक विकास की प्रवृत्तियों का समग्र अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

5. परिणाम एवं विवेचना

भारतीय संविधान के 76 वर्षों की उपलब्धियाँ :

1. लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उसने भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को निरंतर बनाए रखा। 1952 से अब तक नियमित अंतराल पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का आयोजन लोकतांत्रिक परंपराओं की सफलता का प्रमाण है।

संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए, जिससे लोकतंत्र की जड़ें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचीं।

2. विधि के शासन की स्थापना

भारतीय संविधान ने "विधि के शासन" की अवधारणा को व्यवहार में स्थापित किया। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। न्यायपालिका ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा इस सिद्धांत को प्रभावी बनाया तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की। इससे लोकतंत्र में नागरिकों का विश्वास सुदृढ़ हुआ।

3. मौलिक अधिकारों का विस्तार

मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा माने जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण, गरिमापूर्ण जीवन, निजता का अधिकार तथा विधिक सहायता जैसे अनेक अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना। इससे संविधान की गतिशीलता और नागरिक-केन्द्रित दृष्टिकोण स्पष्ट होता है।

4. सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति

संविधान ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान किए। आरक्षण नीति, शिक्षा एवं रोजगार में समान अवसर तथा कल्याणकारी योजनाओं ने सामाजिक न्याय को संस्थागत आधार प्रदान किया। महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि तथा स्थानीय निकायों में आरक्षण ने लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया।

5. संघीय व्यवस्था की सफलता

भारतीय संघवाद ने राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधताओं के बीच संतुलन स्थापित किया। वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद तथा जीएसटी परिषद जैसी संस्थाओं ने सहकारी संघवाद को नई दिशा प्रदान की। राष्ट्रीय संकटों एवं विकास योजनाओं में केंद्र और राज्यों के सहयोग ने संघीय व्यवस्था की उपयोगिता को सिद्ध किया है।

6. स्थानीय स्वशासन का सशक्तीकरण

73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायतों एवं नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया। इससे स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता बढ़ी तथा महिलाओं और वंचित वर्गों को नेतृत्व के अवसर प्राप्त हुए।

7. न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका

भारतीय न्यायपालिका ने संविधान के संरक्षक के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है। न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका तथा मूल संरचना सिद्धांत ने संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

6. समकालीन संवैधानिक एवं राजनीतिक चुनौतियाँ

1. लोकतांत्रिक संस्थाओं के समक्ष चुनौतियाँ

वर्तमान समय में लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा कार्यकुशलता पर व्यापक विमर्श हो रहा है। संसद एवं विधानमंडलों में प्रभावी चर्चा, संसदीय समितियों की भूमिका तथा जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

2. चुनावी सुधार की आवश्यकता

भारतीय चुनाव प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, फिर भी चुनावी व्यय, राजनीति का अपराधीकरण, दलबदल, राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता तथा चुनावी आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन जैसे विषय निरंतर सुधार की अपेक्षा रखते हैं।

3. डिजिटल लोकतंत्र एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता

डिजिटल तकनीकों ने शासन को अधिक पारदर्शी बनाया है, किन्तु इसके साथ डेटा सुरक्षा, निजता, साइबर अपराध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव जैसी नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। भविष्य में संविधान की व्याख्या इन विषयों पर और अधिक महत्वपूर्ण होगी।

4. संघीय संबंधों की नई चुनौतियाँ

विकास योजनाओं, प्राकृतिक संसाधनों, कर व्यवस्था तथा प्रशासनिक अधिकारों को लेकर समय-समय पर केंद्र एवं राज्यों के बीच मतभेद उत्पन्न होते हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

5. सामाजिक समरसता

भारतीय समाज की विविधता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। संविधान ने समानता, बंधुत्व तथा धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से सामाजिक समरसता का मार्ग प्रशस्त किया है। बदलते सामाजिक परिवेश में इन संवैधानिक मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

6. पर्यावरणीय न्याय

जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जल संकट तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे विषय आज संवैधानिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। सतत विकास के सिद्धांतों को नीति निर्माण का अभिन्न अंग बनाना विकसित भारत की पूर्वशर्त है।

7. विकसित भारत-2047 की संवैधानिक दिशा (विश्लेषणात्मक भूमिका)

विकसित भारत की परिकल्पना केवल आर्थिक विकास का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों, सुशासन, समावेशी विकास, वैज्ञानिक सोच, तकनीकी नवाचार तथा सामाजिक न्याय पर आधारित राष्ट्रीय दृष्टि है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में भारतीय संविधान केंद्रीय भूमिका निभाता है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक है कि संविधान के मूल आदर्श–न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व–को शासन की प्रत्येक नीति एवं कार्यक्रम का आधार बनाया जाए। डिजिटल शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायी प्रशासन, न्याय तक समान पहुँच, लैंगिक समानता तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में संवैधानिक मूल्यों का प्रभावी क्रियान्वयन ही विकसित भारत की वास्तविक पहचान होगा।

8. विकसित भारत-2047 की संवैधानिक दिशा

भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, सामाजिक न्याय,

समावेशी विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय संतुलन तथा सुशासन पर भी आधारित है। इन सभी उद्देश्यों की सफलता भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श विकसित भारत के मूल आधार हैं। भविष्य की शासन व्यवस्था में संविधान को केवल विधिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि नीति-निर्माण का मार्गदर्शक मानते हुए आगे बढ़ना होगा। डिजिटल इंडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ई-गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा तथा वैश्विक कूटनीति जैसे नए विषय संवैधानिक विमर्श के केंद्र में आ चुके हैं। इन क्षेत्रों में संविधान के मूल मूल्यों के अनुरूप नीतियाँ विकसित करना समय की आवश्यकता है।

विकसित भारत की संवैधानिक दिशा के लिए निम्न बिंदु विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं–

1-संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व को और अधिक सुदृढ़ करना।

2-चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा राजनीतिक वित्तपोषण में सुधार।

3-न्यायपालिका में लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण एवं न्याय तक सरल पहुँच।

4-सहकारी संघवाद को अधिक प्रभावी बनाते हुए राज्यों की सहभागिता बढ़ाना।

5-डिजिटल अधिकारों एवं नागरिकों की निजता की संवैधानिक सुरक्षा।

6-पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास को शासन का अभिन्न अंग बनाना।

7-संविधान के मूल कर्तव्यों एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिक जागरूकता का विस्तार।

9. सुझाव

विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संवैधानिक साक्षरता को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाए। संसद एवं विधानमंडलों की कार्यक्षमता तथा उत्तरदायित्व में सुधार किया जाए। चुनावी सुधारों के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता लाई जाए। न्यायपालिका में रिक्त पदों की शीघ्र नियुक्ति तथा तकनीकी संसाधनों का विस्तार किया जाए। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक दृष्टि से अधिक सशक्त बनाया जाए। डिजिटल प्रशासन के साथ डेटा संरक्षण एवं निजता संबंधी अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। नीति-निर्माण में

युवाओं, महिलाओं तथा वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाई जाए।पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक उत्तरदायित्व के रूप में व्यवहारिक स्तर पर लागू किया जाए। संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं मीडिया के मध्य संवैधानिक संतुलन को सुदृढ़ किया जाए। विकसित भारत-2047 के प्रत्येक नीति दस्तावेज़ में संविधान के मूल सिद्धांतों को आधार बनाया जाए।

10. निष्कर्ष

भारतीय संविधान ने पिछले 76 वर्षों में लोकतंत्र, विधि के शासन, सामाजिक न्याय, नागरिक स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। अनेक राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सुधार, सामाजिक चुनौतियाँ तथा वैश्विक परिवर्तनों के बावजूद संविधान ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। वर्तमान समय में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। यह लक्ष्य तभी पूर्ण रूप से प्राप्त होगा जब संविधान की मूल भावना को शासन, प्रशासन एवं सार्वजनिक जीवन में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी प्रशासन, समावेशी विकास तथा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा विकसित भारत की संवैधानिक आधारशिला हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का भी सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक दस्तावेज़ है। विकसित भारत-2047 की संपूर्ण अवधारणा संविधान के आदर्शों–न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व–के प्रभावी क्रियान्वयन पर आधारित है। इसलिए संविधान की आत्मा को संरक्षित रखते हुए समयानुकूल संस्थागत सुधार ही भारत को एक समृद्ध, सशक्त, समावेशी एवं विकसित लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे।

संदर्भ सूची

1. Basu, D. D. (2023). Introduction to the Constitution of India. LexisNexis.
2. Austin, G. (1966). The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation. Oxford University Press.

3. Austin, G. (1999). Working a Democratic Constitution. Oxford University Press.
4. Kashyap, S. C. (2021). Our Constitution. National Book Trust.
5. Jain, M. P. (2022). Indian Constitutional Law. LexisNexis.
6. Seervai, H. M. (2015). Constitutional Law of India. Universal Law Publishing.
7. Granville Austin. The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation.
8. भारत सरकार(नवीनतम अधिकृत संस्करण) भारत का संविधान ., विधि एवं न्याय मंत्रालय।
9. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग)Second Administrative Reforms Commission) की विभिन्न रिपोर्टें।
10. नीति आयोगविकसित भारत .-2047 : दृष्टि दस्तावेज़।
11. भारत निर्वाचन आयोग की वार्षिक रिपोर्टें।
12. सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय–Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973), S.R. Bommai v. Union of India (1994), Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017
13. Austin, G. (1966). The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation. Oxford University Press.
14. Austin, G. (1999). Working a Democratic Constitution. Oxford University Press.
15. Basu, D. D. (2018). Introduction to the Constitution of India (23rd ed.). LexisNexis.